

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक:- एफ15ज()15/श्रम/प्रमुखसं/ 2348

दिनांक 18/07/2022

परिपत्र

विषय:-दैनिक मजदूरी पर किसी भी व्यक्ति को नियोजित नहीं किये जाने के संबंध में।

वित्त विभाग (आय-व्ययक अनुभाग) राजस्थान सरकार ने परिपत्र क्रमांक प. 4(1)वित्त-1(1)आ.व्य/2022 दिनांक 31.03.2022 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन एवं स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999 की पालना में दैनिक मजदूरी पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति प्रतिषिद्ध (Prohibited) होगी। इस क्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि विभाग के किसी भी कार्य पर दैनिक मजदूरी पर किसी भी व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जावे। राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन एवं स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999 तथा तत्सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 21.10.1999 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।



(डॉ दीप नारायण पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
AS राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ15ज()15/श्रम/प्रमुखसं/ 2428

दिनांक 18/07/2022

प्रतिलिपि समस्त वनाधिकारीगण को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



(प्रशान्त शर्मा)
उप वन संरक्षक (श्रम एवं विधि)
AS राजस्थान, जयपुर